दिनांक- 08.04.2025 प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़

सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना, रंगदारी, धमकी व लोक सेवक पर हमला करने वाला 01 शातिर अभियुक्त थाना पट्टी पुलिस की गिरफ्त में-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना, रंगदारी, धमकी व लोक सेवक पर हमला करने के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्त शिवेन्द्र उर्फ शिवा को थाना क्षेत्रान्तर्गत पचौरी मोड से गिरफ्तार किया गया-
अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के थाना आसपुर देवसरा, थाना पट्टी में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न, रंगदारी, धमकी व लोक सेवक पर हमला करने जैसे- लगभग 09 अभियोग पंजीकृत है-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 07.04.2025 को वादी उपजिलाधिकारी पट्टी के न्यायालय कक्ष में पत्रावली की देख-रेख व सरकारी कार्य कर रहा था। आरोपी द्वारा कार्य सरकार के दौरान वादी को गाली- गलौज, मारपीट, धमकी देने व सरकारी कार्य को बाधित करने व लोक सेवक पर हमला करने के प्रकरण में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 96 / 25 धारा 221/132/121(1)/308 (5) /115(2)/352/351(2) बीएनएस बनाम 01 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पट्टी अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला मय हमराह हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, का0 विश्ववेन्द्र प्रताप सिंह, का0 सोनू कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवा सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रांतर्गत पचौरी मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवा सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष का आपराधिक इतिहास।

अभियुक्त शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवा सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 36/25 धारा 351(3)/352 बीएनएस थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 16/24 धारा 323/504/506/332/427 भादवि व 3(1)द 3(1)ध व 3(2)VA एससी एसटी एक्ट थानाआसपुर देवसरा, प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 266/24 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं032/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 238/22 धारा 447/504/506 भादवि थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0361/22 धारा 323/352/452/504/506 भादवि थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0312/20 धारा 323/327/352/452/504/506 भादवि थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़।

08. मु0अ0सं0 30/25 धारा 121(1),132/221/352 बीएनएस थाना पट्टी, प्रतापगढ़।
09. मु0अ0सं0 96/25 धारा 221/132/121(1)308(5)/115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना पट्टी प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला मय हमराह हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, का0 विश्ववेन्द्र प्रताप सिंह, का0 सोनू कुमार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

मोटर साइकिल चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पुलिस की गिरफ्त में, चोरी की 04 मोटर साइकिल बरामद।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के खजुरनी पुलिया के पास से अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार
गिरफ्तार अभियुक्तों की निशांदेही पर चोरी की 04 मोटर साइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आरोपीगणों द्वारा वादी की मोटरसाइकिल थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत मां बेल्हा देवी धाम से चोरी कर लेना व चोरी कर भाग जाना के प्रकरण में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 152/25 धारा 303 (2) / 317 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/ अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का०मो0 आरिफ, का0 आलोक, का० विलास यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मूखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 152/25 धारा 303 (2) / 317 (2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. कृष्ण कान्त मिश्रा पुत्र गौरीशंकर मिश्रा निवासी रैनी सतखरिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 02. सिद्धार्त गौतम पुत्र विजय गौतम निवासी रामनगर गंसियारी नेवादा थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज को 01 मोटरसाइकिल के साथ थानाक्षेत्र के खजुरनी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद की गई।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरणः-
गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि यह जो मोटर साइकिल है इसका कागज हमारे पास नही है इसे हमने दि0 27.03.2025 को स्टेशन रोड से चुराया था और तभी से इससे चल रहे थे कि आप लोगों ने पकड लिया बरामद अपाचे जनपद में हो रही मोटरसाइकिल चोरियों के बारे में पूछताछ किया गया तो कृष्णकांत मिश्रा द्वारा बताया गया कि हम दोनों मिलकर पिछले दो महीने से मोटरसाइकिल चुरा रहे है तथा उसे बेचकर अपना शौक पूरा करते है। उपरोक्त ने बताया कि मेरे घर के पास ही एक हाते में मैने चुराई हुयी तीन मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी है आप मेरे साथ चले तो मै बरामद करा सकता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. कृष्ण कान्त मिश्रा पुत्र गौरीशंकर मिश्रा निवासी रैनी सतखरिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
02. सिद्धार्त गौतम पुत्र विजय गौतम निवासी रामनगर गंसियारी नेवादा थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-
चोरी का 04 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का०मो0 आरिफ, का0 आलोक, का० विलास यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतनपुर के उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय मय हमराह का0 अजय यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त दबिश के दौरान ST 604/2016 संबन्धित मु0अ0स0 32 / 2016 धारा 354 (C),336,294 IPC व 3(1)(10) SC,ST ACT थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त मो0 सलमान पुत्र नजर मो0 उर्फ जोखू उम्र करीब 30 वर्ष नि०ग्राम बीरापुर (बसहा) थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को बीरापुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त विवरण-
1.मो0 सलमान पुत्र नजर मो0 उर्फ जोखू उम्र करीब 30 वर्ष नि०ग्राम बीरापुर (बसहा) थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।
पुलिस टीम-
उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय मय हमराह का0 अजय यादव थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा के उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह का0 अभिषेक त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त दबिश के दौरान केस न0- 381/24 धारा 28 (1) व केस न0 382/24 धारा 31 घरेलू हिंसा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त अजय कुमार यादव पुत्र पृथ्वी पाल यादव निवासी कबडियागंज नहर के पास थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण-
अजय कुमार यादव पुत्र पृथ्वी पाल यादव नि0 कबडियागंज नहर के पास थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह का0 अभिषेक त्रिपाठी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 राजन कुमार बिन्द मय हमराह का० नन्द किशोर द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त दबिश के दौरान मु0न0-17718/21 अ0स0 176/96 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त धंनजय पुत्र तेज नारायण नि0 ग्राम सोनपुरा (पण्डित का पुरवा) थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण-
धंनजय पुत्र तेज नारायण नि0 ग्राम सोनपुरा (पण्डित का पुरवा) थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राजन कुमार बिन्द मय हमराह का० नन्द किशोर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बीट आरक्षी की सतर्कता से 01 गैंगस्टर गिरफ्तार
थाना बाघराय के आरक्षी ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
आरक्षी अंकित कुमार ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना बाघराय के आरक्षी अंकित कुमार को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र
थाना बाघराय पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत चामुण्डा देवी गेट मुख्य सडक रामबन गमन मार्ग से गैंगस्टर बृजेश कुमार द्विवेदी पुत्र दीपक द्विवेदी गिरफ्तार
गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त पर मारपीट, धमकी, गैर इरादतन हत्या, गैंगस्टर जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर आरक्षी अंकित कुमार के सहयोग से आज दिनांक 08.04.2025 को थाना बाघराय पुलिस द्वारा थाना मानिकपुर के मु0अ0सं0 67/25 धारा 2/3 यू0पी गैंगेस्टर अधिनियम थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ में 01 वांछित अभियुक्त बृजेश कुमार द्विवेदी पुत्र दीपक द्विवेदी नि0 उमरापट्टी पुरेठकुराइन थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र बाघराय के चामुण्डा देवी गेट मुख्य सडक रामबन गमन मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- बृजेश कुमार द्विवेदी पुत्र दीपक द्विवेदी नि0 उमरापट्टी पुरेठकुराइन थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास- बृजेश कुमार द्विवेदी पुत्र दीपक द्विवेदी नि0 उमरापट्टी पुरेठकुराइन थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1-मु0अ0सं0-69/2019 धारा 147/148/149/308/323/352/452/504/506 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
2-मु0अ0सं0-140/24 धारा 22/29/8 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

3-मु0अ0सं0-67/25 धारा 2/3 यू0पी गैंगेस्टर अधिनियम थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

बीट आरक्षी की सतर्कता से 01 गैंगस्टर गिरफ्तार
थाना मानिकपुर के आरक्षी ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
आरक्षी राजेश प्रथम ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना मानिकपुर के आरक्षी राजेश प्रथम को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र
थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत रेलवे क्रासिंग से गैंगस्टर मनोज यादव पुत्र नन्दलाल यादव गिरफ्तार
गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त पर मारपीट, धमकी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर आरक्षी राजेश के सहयोग से आज दिनांक 08.04.2025 को थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा थाना मानिकपुर के मु0अ0सं0 67/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 01 वांछित अभियुक्त मनोज यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी बजहाभीट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र मानिकपुर के रेलवे क्रासिंग पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- अभियुक्त मनोज यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी बजहाभीट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास- मनोज यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी बजहाभीट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1-मु0अ0सं0-226/22 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
2-मु0अ0सं0-212/23 धारा 323/506 भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
3-मु0अ0सं0- 30/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।